प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा हड़ताल

4960. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
सैयद सिब्ते रजी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अपनी मांगें मनवाने के लिये पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मुख्य मांगें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग दस वर्ष पूर्व चट्टोपाध्याय समिति ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें की थीं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा विगत में समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शिक्षकों द्वारा कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा है । अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की देख-रेख करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का विरोध, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान, सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, स्कूलों के अप्रत्यक्ष निजीकरण को रोकना, विधान परिषदों में शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों को वोट देने का अधिकार देना आदि के मुद्दे पर आन्दोलन कर रहा है ।

(ग) से (ङ) चट्टोपाध्याय आयोग ने वर्ष 1985 में अपनी रिपोर्ट दी; आयोग न तो संशोधित वेतनमानों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था और न ही विशेष रूप से संशोधित वेतनमानों की जांच करने अथवा सिफारिश करने के लिए । तथापि चतुर्थ वेतन आयोग और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1.1.1986 से स्कूल शिक्षकों के लिए संशोधित तीन-चरणीय वेतनमानों के साथ शिक्षण भत्ता भी पहले से ही निर्धारित कर दिया है ।

.Recommendation b,y *Chatopadhyay* Committee

4961. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI ANANT RAM JAIS-WAL:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Government of Delhi have sent any proposal to the Central Government to implement some of the recommendations made by the Chattopadhyay Commission relating to teachers in Delhi; and

(b) if so, the action taken thereon by the Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) The Government of the National Capital Territory, Delhi have sent proposal to the Government of India suggesting (i) enhancement of medical allowance from Rs. 15/-p.m to Rs. 65/- P.m.: *(ii)* grant of selection scale to all teachers who have rendered 12. years in the senior

scale; and (iii) enhancement of the retirement age of educational administrators from 58 years to 60 years.

The proposals have been considered and Government is of the view that:—

(i) Instead of giving fixed medical allowance, irrespective of actual need, a medical insurance would be more appropriate;

(ii) The concept of a running pay scale to the teachers has not been accepted by the Government. Based on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission and those of Chattopadhayya Commission, the teachers have been given w.e.f. 1.1.86 improved three-tier pay scales plus teaching allowance. At this stage when the Fifth Central Pay Commission is examining revision of all pay scales and service conditions, revision in pay scales or change in

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति

4962. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री आस मोहम्मद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू को प्रोत्साहन न दिए जाने की वजह से उर्दू शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार में की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए उर्दू शिक्षकों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शलजा) : (क) से (ग) उर्दू के संवर्धन के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और उर्दू सीखने के वास्ते छात्राओं को प्रोत्साहनों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम सरकार के विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

4963. श्रीरा रावजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके पास अपने भवन नहीं हैं और उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके लिये भवनों को निर्मित करने के उद्देश्य से धनराशि मंजूर कर दी गई है ;

(ग) उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके भवन निर्माणाधीन हैं और उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके भवनों का निर्माण कार्य 31 दिसंबर, 1994 तक शुरु नहीं किया गया था और निर्माण कार्य शुरु नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपभोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रत्येक विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 31-12-94 को 44 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत थे ।

(ख) और (ग) 21 नवोदय विद्यालय अस्थायी स्थलों पर कार्य कर रहे हैं । नवोदय विद्यालय समिति ने 43 जवाहर नवोदय विद्यालयों के संबंध में स्थायी निर्माण कार्य शुरु करने के लिए प्रशासनिक संस्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है, जिनमें से 40 जवाहर नवोदय विद्यालयों में निर्माण कार्य पहले ही शुरु कर दिया गया है ।